

# Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case ..... Year

Versus .....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief
23 <sup>09</sup> / <sub>2024</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील जहाँ उग्र, वकील जहाँ के अध्यापक की तलवी कटवाने का मत on 10/11/24 अवसर 20/11/24 दिनांक 23/10/24 के पेश की</p> <p style="text-align: right;">A</p>	
23 <sup>10</sup> / <sub>2024</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील जहाँ उग्र, वकील जहाँ के अध्यापक की तलवी कटवाने का मत on 10/11/24 अवसर 20/11/24 दिनांक 20/11/24 के पेश की</p> <p style="text-align: right;">A</p>	
20/11/2024	<p>पत्रावली पेश हुई। तलवी मूल का पूर्ण हो चुकी है वकील उग्र पक्ष उपस्थित। उग्र पक्ष बख सुनी जायी। उग्र पक्ष वकील बटस एवं पत्रावली में उपलब्ध इस्तावेजात के आधार पर प्रती का उत्पना-पत्र अंतर्गत धारा 212(2) राज कानून अधिनियम 1952 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर उर्ज नम्बर से कम होकर का तबमील दाखिल इफतर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 20/11/2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">20/11/24 सहायक तलवी बाग (उग्र)</p>	